

## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—05944—240071

पत्रांक: क्रमांक—44, न—3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2023

दिनांक जनवरी 17, 2023

स्वामी/प्रबन्धक

मै० ट्रेफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल

घोसीकुआं खटीमा

ऊधम सिंह नगर।

**विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०—61245743 दिनांक 26—12—2022 के अनुसार मै० ट्रेफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल घोसीकुआं खटीमा ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी खटीमा द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी खटीमा की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में संस्थान/भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit report इस कार्यालय को प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै० ट्रेफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल घोसीकुआं खटीमा ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 17 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 विद्यालय में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा, अन्य लैब में 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 5 किग्रा एवं 04 अदद सेण्ड बकेट, तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 5 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

वसुन्धरा देवी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
ऊधम सिंह नगर